

आदेश

प्रस्तुत वाद में विपक्षी के द्वारा परिपोषिनियता के विन्दु पर आवेदन दिया गया है, जो निम्न है:-

1. यह है कि विवादित जमीन मौजा-दिड़सीर, थाना-सोनाहातु के खाता संख्या-59 एवं 60 से संबंधित है। जो सर्वे खतियान में शाम चरण महतो वो बिरबल महतो वो नटवर महतो वो जयराम महतो पिता-फागु महतो एक हिस्सा वो बदवा महतो वो टीकैत महतो एक हिस्सा दर्ज है।
2. यह है कि खाता संख्या-59, प्लॉट संख्या-264, 265, 273, 274, 253, 252 आर. एस. सर्वे खतियान में संयुक्त संपत्ति है एवं खाता संख्या-60, प्लॉट संख्या-272 द्वितीय पक्ष की संपत्ति है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्लॉट संख्या-272 रकवा-3 1/2 डी० भूमि धोन्दा महतो से प्राप्त किये है। आर. एस. खतियान में प्लॉट संख्या-272, रकवा-14 डीसमील है, परन्तु रकवा-07 डीसमील पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा है। जिसमें द्वितीय पक्ष का आवासीय मकान बना हुआ है। प्लॉट संख्या-272 पर ओर भी घर है।
3. यह है कि आवेदक ने अपने आवेदन के पारा-5 में लिखे है कि प्लॉट संख्या-243, 252, 264, 265, 266, 268, 271, 272, 273, 251 से होकर रास्ता गुजरा है। यह सत्य नहीं है। क्योंकि प्रथम पक्ष का भी प्लॉट संख्या-268 में आवासीय मकान है।
4. यह है कि प्रथम पक्षगण 15 आदमियों के गलत हस्ताक्षर कर मुकदमा दायर किया गया है। प्रथम पक्ष संख्या-1 बाऊरी महतो, प्रथम पक्ष संख्या-3 विशेश्वर महतो, प्रथम पक्ष संख्या-5 अकलू महतो, प्रथम पक्ष संख्या- दिगम महतो, प्रथम पक्ष संख्या-7 हरेश महतो, प्रथम पक्ष संख्या-8 धनेश्वर महतो, प्रथम पक्ष संख्या-11 बिरेन महतो, प्रथम पक्ष संख्या-13 हरेन महतो, का आवासीय मकान है और द्वितीय पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया है। जो खारिज करने योग्य है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नियत से मुकदमा दायर किया गया है। उन्होंने वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के आवेदनके आलोक में 1थम पक्ष अपने प्रत्युत्तर में निम्न उल्लेख किये है:-

1. यह है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा परिपोषिनियता के विन्दु पर दिया गया आवेदन खारिज करने योग्य है।
2. यह है कि उभय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज है। उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तावित रास्ता उत्तर से दक्षिण लम्बाई 200 फीट, चौड़ाई 8 फीट सरकारी रास्ता तक छोड़ा गया है। द्वितीय पक्ष प्रस्तावित रास्ता को 200 फीट लम्बाई में 30 फीट एवं चौड़ाई 8 फीट में 5 फीट का अतिक्रमण कर 30 फीट तक चलने का रास्ता मात्र 3 फीट बचा हुआ है। जो अति संकीर्ण है, थम पक्षों को काफी असुविधा है।
3. यह है कि द्वितीय पक्ष का मकान सरकारी रास्ता के किनारे है। इसके घर के आगे सरकारी रास्ता तक जाने के लिए रास्ता काफी चौड़ा है। परन्तु प्रथम पक्षों का घर, मकान अन्दर है सरकारी रास्ता तक आने के लिए द्वितीय पक्ष रास्ता को अतिक्रमण कर संकीर्ण कर दिया है, जो प्रथम पक्ष सरकारी रास्ता तक सही तरीके से निकल नहीं सकते है।
4. यह है कि द्वितीय पक्ष के आवेदन के पारा-3 का दावा गलत है। जो खाता संख्या-60, प्लॉट संख्या-272, रकवा-14 डीसमील शामिलता है, जो धुन्धा महतो का बेचने का हक 1/2 डी० का नहीं बनता है।

5. यह है कि द्वितीय पक्ष का परिपोषिनियता के आवेदन के पारा-5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सभी झूठा है।

6. यह है किथम पक्ष के द्वारा दिया गया आवेदन में स्पष्ट है कि ग्रामीण जानता गवाह स्व० आमीन रिपोर्ट मापी का ट्रेश, खतियान दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपना घर के सामने प्रस्तावित रास्ता को 30 फीट लम्बाई तक मात्र 3 फीट चौड़ा बचा हुआ है। उत्तर में चौड़ाई 8 फीट द्वितीय पक्ष के घर के आगे सरकारी रास्ता तक 8 फीट से भी ज्यादा बचा हुआ है। विवादित को लेकर पुलिस प्रतिवेदन एवं अंचल प्रतिवेदन आवश्यक है। अतः द्वितीय पक्ष का दिनांक 19/09/2019 को परिपोषिनियता के विन्दु पर दाखिल आवेदन को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

परिपोषिनियता के विन्दु पर उभय पक्ष के बहस को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन उभय पक्षों की संयुक्त संपत्ति है। प्रथम पक्ष के आवेदन से स्पष्ट होता है कि आने-जाने के लिए रास्ता 30 फीट लम्बाई में 3 फीट चौड़ा है। चूंकि विवादित जमीन उभय पक्षों की संयुक्त संपत्ति है। सक्षम न्यायालय से बँटवारा प्राप्त होने के पश्चात ही रास्ता का समाधान किया जा सकता है। द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल परिपोषिनियता के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं वाद में अभिलेख की कार्यवाही को बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

8.11/12
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

8.11/12
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।